बनाम

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 115 सन 2015
अनवान :–

1. हंसराज पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर। वादी

बनाम

1. इन्द्रारानी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 8.1.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 36/29 के खसरा न0 52/2 की 10 बीधा व खाता संख्या 37/29 के खसरा न0 58/1 की 10.14 बीधा भूमि वादी के नाम भूमि दिनांक 22.07.2001 को खरीद कर दी थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रवितादीया वादी की बहन के नाम से दजै है वादी की बहन प्रतिवादीया अर्थिक स्थति से कमजोर थी इसलिये वादी ने अपनी पैतृक सम्पति व पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि को बेचान कर अपनी बहने के नाम करवाई गई थी व उसकी आय से वादी की बहन अपना भरण पोषण करने लगी अब वादी की बहने आर्थिक स्थिति से मजबूत हो चुकी है इसलिये वादी अपनी भूमि जो वादीया के नाम से करवाई गई थी को अपने नाम से पूनः दर्ज करवाना चाहता है वास्तविक रूप से वादी की बहन प्रतिवादीया के नाम से दर्ज भूमि जो खरीद की प्रतिवादीया के नाम से दर्ज करवाई गई थी का वादी खातेदार काश्तकार हे केवल मदद के लिये अपनी बहन के नाम से दर्ज करवाई गई थी जिसे अपने नाम से दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीया को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीया स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीया ने निवेदन किया की उसकी कमजोर स्थिति को देखते हुए उसके भाई ने वाद भूमि उसके नाम से दर्ज करवाई गई थी जो वादी की बहन है वास्तविकता में उसका भाई वादी ही वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है वाद भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी का सुना गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादीया के नाम से दर्ज है प्रतिवादीया वादी की बहन है प्रस्तुत बैयनामो के अनुसार वादी ने अपनी बहन प्रतिवादीया को अपनी पुश्तैनी भूमि व पूश्तैनी भूमि की आय से खरीद कर दी गइ थी जो प्रतिवादीया के नाम से राजस्व रिकाड्र में दर्ज है वादी का कथन है कि पूर्व में उसकी बहन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भूमि उसके नाम से खरीद की गई थी अब प्रतिवादीया की आर्थिम स्थिति

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

मजबुत हो चुकी है इसलिये वादी अपनी भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनों को प्रतिवादीया ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि उसके भाई वादी के हक हिस्सा की भूमि है जो केवल प्रतिवादीया की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके नाम से करवाई गई थी जो वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व प्रतिवादीया ने अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादीया की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 36/29 के खसरा नम्बर 58/2 की 10.00 बीधा , खाता संख्या 37/29 रोही मौजा जोखासर के खसरा नम्बर 58/1 की 10.14 बीधा कुल 20.14 बीधा भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादीया के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.1.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)